न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या–93/2023

अशोक कुमार

बनाम्

गिरजा देवी

–: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रक्रिया अशोक कुमार पिता–स्व0 जीतू राम, ग्राम–चमरडीहा, थाना–बरवाडीह, जिला–लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1) (बी) के तहत् क्रेता गिरजा देवी, पति–स्व0 राजकिशोर राम, ग्राम–छिपादोहर, थाना–छिपादोहर, जिला–लातेहार के साथ मौजा–चमरडीहा अंचल–बरवाडीह, खाता संख्या–19, प्लॉट संख्या–123 रकबा–0.12 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए दिये गये आवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

अंचल अधिकारी, बरवाडीह के पत्रांक–407 दिनांक 18.10.2023 से प्राप्त भूमि का जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, बरवाडीह के पत्रांक–407 दिनांक 18.10.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि मौजा–चमरडीहा के खाता संख्या–19, प्लॉट संख्या–123 रकबा–0.12 एकड़ भूमि आवेदक की खरियानी रैयती भूमि है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं एवं एक ही जिला के निवासी है। बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास कुल–0.73 एकड़ भूमि शेष बचता है। विक्रेता भूमि बिक्री के पश्चात् भूमिहीन नहीं हो रहे

हैं। भूमि बिक्री की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गयी है।

अतः छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1)(बी) के अंतर्गत विक्रेता अशोक कुमार पिता–स्व0 जीतू राम, ग्राम–चमरडीहा, थाना–बरवाडीह, जिला–लातेहार को क्रेता गिरजा देवी, पति–स्व0 राजकिशोर राम, ग्राम–छिपादोहर, थाना–छिपादोहर, जिला–लातेहार के साथ मौजा–चमरडीहा अंचल–बरवाडीह, खाता संख्या–19, प्लॉट संख्या–123 रकबा–0.12 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, लातेहार एवं उभय पक्षों को भेजें तथा अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 17:26:26 +05:30
Location: 192.168.164.143